झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषयः **राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के संबंध में।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों यथा–साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावाँ में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्‌भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक के लिए मात्र संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माने जाने का प्रावधान किया गया है।

2. राज्य के गैर अनुसूचित 11 जिलों यथा–पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा के जिला स्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जिलों हेतु प्रवृत्त उपरोक्त प्रावधान के सदृश्य व्यवस्था करने की मांग सरकार के समक्ष विचाराधीन थी।

3. सन्निहित मामले में गैर अनुसूचित जिलों के सदृश्य प्रावधानों पर अध्ययन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी। उक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(क) राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों यथा पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु, अगले 10 (दस) वर्षों तक, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के सभी राज्यस्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाले नियुक्तियों हेतु मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा।

(ख) राज्य के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली वैसी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनके लिए मात्र विज्ञापन ही प्रकाशित हुए हैं, किन्तु अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है, से संबंधित विज्ञापन तत्काल निरस्त किये जायेंगे तथा

sankalp

उपर्युक्त कंडिका 'क' में अंकित प्रावधानों के अनुरूप झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर उक्त परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

**आदेश** : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

**(के0 के0 खण्डेलवाल)**

**सरकार के अपर मुख्य सचिव।**

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– ................/रांची, दिनांक ...................

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह0/–

**सरकार के अपर मुख्य सचिव।**

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 3854/रांची, दिनांक 01/6/18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

Kailash 1/6/18

**सरकार के अपर मुख्य सचिव।**

sankalp